रजिस्ट्री सं० डी-222 REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 14, 1972 (आश्विन 22, 1894)
No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 14, 1972 (ASVINA 22, 1894)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 15 **फरवरी** 1972 तक **प्रकाशित** किये गये हैं :—
The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 15th February 1972 :—

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
1	2	3	4

शून्य
—NIL—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	1081
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयो और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1687
भाग I—खंड 3—रक्षा मत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरो की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1495
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियो की रिपोर्ट . .	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं ।) . .	3131
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	3963
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	557
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोकसेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	1411
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	297
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	89
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं . .	1645
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी सस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें .	203
पूरक संख्या 42—	
7 अक्तूबर, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट .	2015
16 सितम्बर, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े .	2025

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1081
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1687
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1495
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).	3131
PART II—SECTION 3.—SUB.SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	3963
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	557
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	1411
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	297
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	89
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1645
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	203
SUPPLEMENT No. 42	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 7th October 1972	2015
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 16th September, 1972	2025

भाग I—खण्ड 1

(PART I—SECTION 1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 7 सितम्बर 1972

सं० 3/1/ई०सी० I/72—अध्यक्ष महोदय ने श्री एल० डी० कटकी को श्री के० एन० तिवारी के स्थान पर, जो कि विदेश यात्रा पर गए हैं, 7 सितम्बर, 1972 से प्राक्कलन समिति का सभापति नियुक्त किया है।

एम० एस० सुन्द्रेसन, उप-सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय
(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्तूबर 1972

नियम

सं० 16/42/72-सी० एस०-1—निम्नलिखित सेवाओं/पदों में खाली जगहों को भरने के लिए, 1973 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं :—

(i) भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य काडर (सहायक) का ग्रेड-IV,

(ii) रेलवे बोर्ड मुख्यालय सिविल सेवा—सहायक ग्रेड,

(iii) केन्द्रीय सचिवालय सेवा—सहायक ग्रेड,

(iv) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा—सहायक ग्रेड, और

(v) भारत सरकार के अन्य विभागों और संबद्ध कार्यालयों, में, जो भारतीय विदेश सेवा (ख)/रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा/केन्द्रीय सचिवालय सेवा/सशस्त्र सेवाएं मुख्यालय असैनिक सेवा में सम्मिलित नहीं हैं, सहायकों के पद।

एक उम्मीदवार उपर्युक्त किसी भी एक या अधिक सेवाओं/पदों के लिए प्रतियोगी हो सकता है। वह इन सेवाओं/पदों में से जितनी के लिए विचार किया जाना चाहता है, उनको उल्लेख अपने आवेदन-पत्र में कर सकता है।

ध्यान दें :—उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि जिन सेवाओं/पदों के लिए वे चाहते हैं उन पर विचार किया जाए, उनका वरीयता क्रम से स्पष्ट उल्लेख करें। उम्मीदवार ने अपने आवेदन-पत्र में सेवाओं/पदों के लिए जिस वरीयता क्रम का मूल रूप से उल्लेख किया है, उसमें परिवर्तन के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, यदि वह 30 नवम्बर, 1972 को या उससे पहले संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में न पहुँच गया हो।

2. संघ लोक सेवा आयोग यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट II में निर्धारित विधि से लेगा।]

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

3. उम्मीदवार को या तो—

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) सिक्किम की प्रजा, या

(ग) नेपाल की प्रजा, या

(घ) भूटान की प्रजा, या

(ङ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(च) कोई भारत मूलक व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीका के कीनिया, उगांडा तथा तंजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व तंगानिका तथा जंज़ीबार) देशों से आया हो :

परन्तु ऊपर की (ग), (घ), (ङ) और (च) कोटियों के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजिबिलिटी) प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

परीक्षा में उस उम्मीदवार को भी बैठने दिया जा सकता है जिसके लिए पात्रता-प्रमाण-पत्र आवश्यक हो और उसे सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र दिए जाने की शर्त के साथ अनन्तिम (प्रोविज़नल) रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है।

4. जो उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का न हो या पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का निवासी न हो या संघ-राज्य क्षेत्र गोवा, दमन और दीव का निवासी न हो या पूर्वी अफ्रीका के कीनिया, यूगाण्डा और तंजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व तंगानिका और जंज़ीबार) का प्रव्रजक न हो, उसे इस परीक्षा में अधिक से अधिक दो बार बैठने दिया जायेगा। यह प्रतिबन्ध सन् 1962 की परीक्षा के समय से लागू है।

नोट 1 :—यदि उम्मीदवार एक या अधिक सेवाओं/पदों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा हो तो इस नियम के प्रयोजन के लिए यह मान लिया जाएगा कि वह प्रतियोगिता परीक्षा में एक बार उक्त परीक्षा के अंतर्गत आने वाली सब सेवाओं/पदों के लिए बैठ चुका है।

नोट 2—यदि उम्मीदवार ने वस्तुतः एक या अधिक विषयों की परीक्षा दी हो तो यह माना जायेगा कि वह प्रतियोगता परीक्षा में बैठ चुका है।

5. (क) इस परीक्षा में बैठने के लिए यह आवश्यक है कि पहली जनवरी, 1973 को उम्मीदवार की आयु पूरे 20 साल की हो चुकी हो किन्तु किसी भी हालत में उसकी आयु पूरी 25 साल की न हो, अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1948 से पहले न हुआ हो और 1 जनवरी, 1953 के बाद न हुआ हो।

(ख) ऊपर बताई गई ऊपरी आयु-सीमा में इस प्रकार छूट दी जा सकती है :—

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष तक;

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान का **वास्तविक** विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद किन्तु 25 मार्च, 1971 से पहले उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(iii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित आदिम जाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान का **वास्तविक** विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद किन्तु 25 मार्च, 1971 से पहले उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक;

(iv) यदि उम्मीदवार पांडिचेरी के संघ राज्यक्षेत्र का निवासी हो और उसने किसी समय फ्रांसीसी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष तक;

(v) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से **वास्तविक** भारत-मूलक प्रत्यावर्तित व्यक्ति (रिपैट्रियेट) हो और अक्तूबर 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(vi) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो और श्रीलंका से **वास्तविक** भारत-मूलक प्रत्यावर्तित व्यक्ति भी हो और अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक;

(vii) यदि उम्मीदवार भारत-मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया, यूगाण्डा या तंजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(viii) यदि उम्मीदवार बर्मा से **वास्तविक** भारत-मूलक प्रत्यावर्तित व्यक्ति (रिप्रैट्रिएट) हो और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(ix) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित आदिम जाति का हो और बर्मा से **वास्तविक** भारत-मूलक प्रत्यावर्तित व्यक्ति भी हो और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक;

(x) किसी दूसरे देश के साथ लड़ाई में या किसी अशांत क्षेत्र में कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से मुक्त किये गये रक्षा-कर्मचारियों को अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(xi) किसी दूसरे देश के साथ लड़ाई में या किसी अशांत क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से मुक्त किए गए ऐसे रक्षा-कर्मचारियों के लिए जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति के हों अधिक से अधिक आठ वर्ष तक; और

(xii) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र गोआ, दमन तथा दियु का रहने वाला हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(ग) गोवा, दमन तथा दियु के उन स्वाधीनता सेनानियों को, जो गोवा, दमन तथा दियु की सरकार के कर्मचारी नहीं थे और उन्होंने मुक्ति संघर्ष में भाग लिया था और उसके फलस्वरूप भूतपूर्व पुर्तगाली प्रशासन के अधीन कम से कम छः मास तक कारावास अथवा हिरासत में रहे हों, परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायगी, बशर्ते कि 1-1-1972 को उनकी आयु 35 वर्ष की न हुई हो।

नोट—नियम 5 (ग) के अन्तर्गत आयु-सीमा में छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों की उपर्युक्त नियम 5 (ख) के अन्तर्गत मिलने वाली आयु में छूट का हक नहीं होगा।

ऊपर की गई व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु-सीमा में किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जा सकती।

(6) उम्मीदवार के पास परिशिष्ट I में दिये गये किसी विश्वविद्यालय की डिग्री होनी चाहिए अथवा परिशिष्ट I-क में उल्लिखित कोई अर्हता होनी चाहिए।

नोट : (1) यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह इस परीक्षा में बैठ सकता है किन्तु अभी उसे परीक्षा परिणाम की सूचना न मिली हो तो ऐसी स्थिति में वह परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन कर सकता है। जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हक परीक्षा (क्वालीफ़ाइंग एक्जामिनेशन) में बैठना चाहता हो, वह भी आवेदन कर सकता है बशर्ते कि वह अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के आरम्भ होने से पहले समाप्त हो जाये, ऐसे उम्मीदवारों को यदि वे अन्य शर्तें पूरी करते हों तो इस परीक्षा में बैठने दिया जायेगा। परन्तु परीक्षा में बैठने की अनुमति अनंतिम मानी जायेगी और यदि वे अर्हक परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण जल्दी से जल्दी और हर हालत में इस परीक्षा के आरम्भ होने

की तारीख से अधिक से अधिक 2 महीने के भीतर प्रस्तुत नहीं करते तो यह अनुमति रद्द की जा सकती है।

नोट (2) : विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश का पात्र मान सकता है, जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो, बशर्ते कि उस उम्मीदवार ने संस्थाओं में से किसी के द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है।

नोट (3) : जो उम्मीदवार अन्य सभी दृष्टियों से योग्य हों, पर जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से डिग्रीयां ली हों, जिन्हें परिशिष्ट 1 में शामिल नहीं किया गया है, वे भी आयोग को अपना आवेदन-पत्र भेज सकते हैं, और आयोग चाहे तो उन्हें भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दे सकता है।

7. ऐसा कोई व्यक्ति :—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का करार किया हो जिसकी पत्नी/पति जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने, अपनी पत्नी/पति के जीवित रहते ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का करार किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं होगा।

किन्तु केन्द्रीय सरकार यदि इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति पर और विवाह सूत्र के अन्य पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक नियमों के अन्तर्गत ऐसे विवाह की अनुमति दी जा सकती है, और ऐसा करने के दूसरे आधार भी हों, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम बंधन से छूट दे सकती है।

8. किसी भी ऐसे उम्मीदवार को जो पहले से ही सरकारी सेवा में हो चाहे वह स्थायी अथवा अस्थायी पद पर हो या अनियत अथवा दिहाड़ी पर रखे कर्मचारियों को छोड़कर कार्य-प्रभारित कर्मचारी के रूप में नियुक्त हो, परीक्षा में प्रवेश के लिए विभागाध्यक्ष की पूर्व अनुमति अवश्य लेनी होगी।

9. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे वह सम्बन्धित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन न कर सके। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हो कि वह इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जायेगी जिनकी नियुक्ति पर विचार किए जाने की संभावना हो।

10. परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा में/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है।

11. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

12. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र (सार्टीफिकेट आफ एडमिशन) न हो।

13. उम्मीदवार को आयोग के नोटिस के अनुबंध I में निर्धारित फीस देनी होगी।

14. यदि कोई उम्मीदवार किसी और प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो उसे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।

15. यदि कोई उम्मीदवार इस बात का दोषी हो या आयोग द्वारा इस बात का दोषी ठहराया गया हो कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी परीक्षा दिलवाई है या जाली प्रमाण-पत्र आदि पेश किए हैं या ऐसे प्रमाण-पत्र पेश किये हैं जिनमें कोई हेरफेर किया गया है या कोई ऐसी बात लिखी है जो गलत या झूठी है या कोई प्रमुख तथ्य छिपाया गया है या परीक्षा में बैठने के लिए किसी और अनियमित या अनुचित तरीके से काम किया लिया है या परीक्षा भवन में अनुचित तरीकों से काम लिया है या लाभ लेने की कोशिश की है या परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है तो उसका दांडिक अभियोजन (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) किया जा सकता है।

(क) साथ ही, उसे हमेशा के लिए या किसी विशेष अवधि के लिए :—

(i) आयोग द्वारा उम्मीदवारों के चुनाव के लिए ली जाने वाली किसी भी परीक्षा या इन्टरव्यू में शामिल होने से आयोग रोक सकता है; और

(ii) केन्द्रीय सरकार, सरकारी नौकरी करने से रोक सकती है।

(ख) यदि वह पहले से ही सरकारी नौकरी में हो, तो उपयुक्त नियमों के अधीन उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

16. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए उतनी खाली जगहें आरक्षित की जाएंगी जितना कि सरकार तय करे।

अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों से अभिप्राय निम्नांकित में उल्लिखित जातियों/आदिम जातियों में से किसी एक से है :—

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950; संविधान (अनुसूचित जातियां) (भाग 'ग' राज्य) आदेश, 1951; संविधान (अनुसूचित आदिम जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित आदिम जातियां) (भाग 'ग' राज्य') आदेश, 1951 जैसा कि बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के साथ पठित और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सूचीयां (आशोधन) आदेश, 1956 द्वारा संशोधित है। संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956; संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप) अनु-

सूचित आदिम जाति आदेश, 1959, संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962; संविधान दादरा और नगर हवेली अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962; संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964; संविधान अनुसूचित आदिम जाति (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967; संविधान (गोवा, दमन और दियु) अनुसूचित जाति आदेश, 1968, संविधान (गोवा, दमन और दियु) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968 और संविधान (नागालैंड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970।

17. परीक्षा के बाद आयोग हर एक उम्मीदवार को अंतिम रूप से दिये गये कुल प्राप्तांकों के आधार पर उनके योग्यता-क्रम के अनुसार उनके नामों की सूची बनाएगा, और इस परीक्षा का परिणाम निकलने पर जितनी अनारक्षित खाली जगहों पर भर्ती करने का फैसला किया गया हो उतने ही ऐसे उम्मीदवारों को योग्यता-क्रम के अनुसार नियुक्त करने के लिए सिफारिश की जाएगी जो आयोग द्वारा परीक्षा में योग्य माने गए हों।

परन्तु यदि सामान्य स्तर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक अनुसूचित जातियों, अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हों, तो आरक्षित कोटा में कमी पूरी करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर, चाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान हो, नियुक्ति के लिए सिफारिश किए जा सकेंगे, बशर्ते कि ये उम्मीदवार इन सेवा/पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों।

18. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाय, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा और आयोग उनसे परीक्षाफल के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

19. परीक्षा के परिणाम पर नियुक्ति करते समय उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए बताये गये, वरीयता क्रम पर उचित ध्यान दिया जायेगा (आवेदन-पत्र का स्तम्भ 25 देखिए)।

20. नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएंगी यदि आवश्यक समझा गया तो परिवीक्षा-अवधि बढ़ाई जा सकेगी।

21. उम्मीदवार को सहायक-ग्रेड में उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रजी टाईपिंग या 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टाईपिंग परीक्षा पास करनी होगी। यदि वे नियत अवधि के भीतर पास न कर सकें तो वे सहायक ग्रेड में आगे वेतन-वृद्धि पाने के तब तक अधिकारी न होंगे जब तक कि वे उक्त परीक्षा पास न कर लें या उन्हें किसी विशेष या सामान्य आदेश के अधीन ऐसी परीक्षा पास करने की आवश्यकता से छूट न दी जाये और परीक्षा पास कर लेने पर या उसके छूट मिल जाने पर उनका वेतन यह मान कर फिर से इस प्रकार नियत किया जायेगा कि उनकी वेतन-वृद्धि रोकी ही नहीं गई थी, परन्तु जितनी अवधि के लिए वेतन-वृद्धि रोकी गई थी उस अवधि का बकाया वेतन उन्हें नहीं दिया जायेगा।

22. केन्द्रीय सचिवालय सेवा, भारतीय विदेश सेवा (ख), रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में सहायकों और भारत के चुनाव आयोग तथा पर्यटन विभाग में सहायकों के पदों की सेवा की शर्तें परिशिष्ट-II में संक्षेप में दी गई हैं।

एम० के० वासुदेवन, अवर सचिव

परिशिष्ट—1

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों की सूची
(देखिये नियम 6)

भारतीय विश्वविद्यालय

कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय जो भारत के केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम से निगमित किया गया हो या अन्य शिक्षा संस्थाएं, जिन्हें संसद् के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया हो, अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयों के रूप में मान्य घोषित किया गया हो।

बर्मा के विश्वविद्यालय

रंगून विश्वविद्यालय
मांडले विश्वविद्यालय

इंगलैंड और वेल्स के विश्वविद्यालय

बर्मिंघम, ब्रिस्टल, कैम्ब्रिज, डर्हम, लीड्स, लिवरपूल, लंदन, मैन्चेस्टर, आक्सफोर्ड, रीडिंग-शेफील्ड और वेल्स के विश्वविद्यालय।

स्काटलैण्ड के विश्वविद्यालय

एबरडीन, एडिनबरा, ग्लासगो और सेन्ट एन्ड्रयूज विश्वविद्यालय।

आयरलैंड के विश्वविद्यालय

डबलिन विश्वविद्यालय (ट्रिनिटी कालेज), नेशनल यूनिवर्सिटी आफ आयरलैण्ड, दि क्वीन्स यूनिवर्सिटी बैलफास्ट।

पाकिस्तान के विश्वविद्यालय

पंजाब विश्वविद्यालय, सिंध विश्वविद्यालय

बंगला देश के विश्वविद्यालय

ढाका विश्वविद्यालय
राजशाही विश्वविद्यालय

नेपाल के विश्वविद्यालय

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाण्डू।

परिशिष्ट 1—क

परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए मान्यता प्राप्त योग्यताएं
(देखिए नियम 6)

1. गुरुकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी, हरिद्वार की अलंकार डिग्री।
2. काशी विद्यापीठ, वाराणसी का "शास्त्री"।
3. फ्रांसीसी परीक्षा "प्रापेदतीक" (Propedevtique)
4. उच्चतर ग्राम शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् का ग्राम सेवाओं में डिप्लोमा।
5. विश्वभारती विश्वविद्यालय का ग्राम सेवाओं में डिप्लोमा।
6. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का वाणिज्य में डिप्लोमा।

7. केन्द्र सरकार के अधीन उच्च सेवाओं और पदों की भर्ती के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय डिप्लोमा ।

8. भारतीय खान विद्यालय, धनबाद, की खनन इंजीनियरी में डिप्लोमा ।

9. श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पांडिचेरी का "उच्चतर पाठ्यक्रम", यदि पूर्ण छात्र (फुल स्टुडेंट) के रूप में यह पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो ।

10. शास्त्री (अंग्रेजी सहित) या पुराना शास्त्री या सम्पूर्ण शास्त्री परीक्षा जिसमें अंग्रेजी एक विषय सहित अतिरिक्त विषयों में विशेष परीक्षा हो अर्थात् वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी का वरिष्ठ शास्त्री ।

11. मानवशास्त्र एवं प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में सोवियत रूस के किसी उच्च शिक्षण संस्थान का समकक्ष स्नातक डिप्लोमा बिना प्रथम वैज्ञानिक निबन्ध के परन्तु राज्य परीक्षाएं पास किए जाने पर ।

परिशिष्ट—II

परीक्षा के विषय, परीक्षा के लिए दिया गया समय और प्रत्येक विषय के पूर्णांक इस प्रकार होंगे ।

विषय	पूर्णांक	दिया गया समय
1. निबन्ध	100	2 घण्टे
2. सामान्य अंग्रेजी	200	3 घण्टे
3. अंक गणित	100	2 घण्टे
4. सामान्य ज्ञान, जिसमें भारत का भूगोल भी शामिल है ।	100	2 घन्टे

2. परीक्षा का पाठ्य विवरण साथ लगी अनुसूची में दिया गया है ।

3. उम्मीदवार प्रश्नपत्र 1 या प्रश्न पत्र 4 अथवा दोनों प्रश्न पत्रों का उत्तर हिन्दी (देवनागरी) या अंग्रेजी में दे सकते हैं । प्रश्न पत्र 2 और 3 का उत्तर सभी उम्मीदवारों को अंग्रेजी में ही देना पड़ेगा ।

नोट : 1. यह विकल्प पूरे प्रश्न पत्र के लिए होगा, उसी प्रश्न पत्र के विभिन्न प्रश्नों के लिए नहीं ।

नोट : 2. उक्त प्रश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में देने का विकल्प चाहने वाले उम्मीदवारों को अपने इस इरादे का उल्लेख आवेदन पत्र के कालम 8 में स्पष्ट रूप से करना चाहिए नहीं तो यह समझा जाएगा कि वे सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही देंगे ।

एक बार लिया गया विकल्प अंतिम माना जाएगा और उक्त कालम में कोई परिवर्तन करने का अनुदेश स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

4. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे । किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

5. आयोग अपने निर्णय में परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक (क्वालीफाईंग) अंक निर्धारित कर सकता है ।

6. केवल सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे ।

7. खराब लिखाई के कारण लिखित विषयों के पूर्णांकों में से 5 प्रतिशत अंक काट लिए जाएंगे ।

8. परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध, प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई भावाभिव्यक्ति को विशेष महत्व दिया जाएगा ।

9. उम्मीदवारों से मुद्रा, तोल, और माप की मीट्रिक प्रणाली से परिचित होने की आशा की जाती है । प्रश्न पत्रों में यथा आवश्यक मुद्रा, तौल और माप की मीट्रिक प्रणाली से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं ।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्य विवरण

1. निबन्ध : दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर निबन्ध लिखना होगा ।

2. सामान्य अंग्रेजी :

(i) सार लेखन और मसौदा लेखन :—अंग्रेजी समझने और लिखने की शक्ति की परीक्षा करने के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे । आम तौर पर, संक्षेप में या सार लिखने के लिए अवतरण (पैसेजज) दिए जाएंगे । उम्मीदवारों को कुछ सामग्री दी जाएगी और उन्हें सामग्री का समुचित उपयोग करते हुए पत्रों, ज्ञापनों आदि के मसौदे तैयार करने को भी कहा जायेगा ।

(ii) पर्यायों, विलोमों, शब्दों तथा पदों के मुहावरेदार प्रयोग और सामान्य मूलों के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे ।

(iii) शब्द-भेद (पार्ट्स आफ स्पीच), वाक्य विश्लेषण वाक्य रचना तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन (डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच) ।

नोट :—प्रश्न पत्र 2 में सार लेखन के लिए 75 अंक, मसौदा लेखन के लिए 75 अंक और व्याकरण, मुहावरों आदि के लिए 50 अंक होंगे ।

प्रश्न-पत्र 1 और 2 का उद्देश्य उम्मीदवारों की शुद्ध भाषा लिखने की योग्यता की परीक्षा करना है । वाक्य-विन्यास तथा योजना, सामान्य अभिव्यक्ति और भाषा के व्यावहारिक प्रयोग पर ध्यान दीया जाएगा ।

3. अंकगणित

अनुपात तथा समानुपात, प्रतिशतता, औसत, आंकड़ों का ग्राफीय निरूपण, रेखिक ग्राफों का पढ़ना और आंकड़ों का सारणीकरण ।

बुद्धिमत्ता, यथातथ्यता और काम को तेजी से करने की योग्यता की जांच करने के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे ।

4. सामान्य ज्ञान, जिसमें भारत का भूगोल भी शामिल है :

सामयिक घटनाओं का ज्ञान और जो कुछ हम प्रति दिन देखते और अनुभव करते है उनके वैज्ञानिक पक्षों का ज्ञान, जो एक ऐसे साधारण पढ़े लिखे आदमी को होना चाहिए जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो इस प्रश्न पत्र में भारतीय भूगोल संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रश्न पत्र में भारतीय इतिहास से संबंधित ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे जिसका उत्तर उम्मीदवार बिना किसी विशेष अध्ययन के ही दे सकते है।

परिशिष्ट III

उन सेवाओं/पदों से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण जिनके लिए इस परीक्षा के द्वारा भर्ती की जा रही है।

1. (i) केन्द्रीय सचिवालय सेवा

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इस समय नीचे लिखे चार ग्रेड है :—

चयन (सेलेक्शन) ग्रेड (उप-सचिव या समकक्ष अधिकारी) रु० 1100-50-1300-60-1600-100-1800।

(2) ग्रेड 1 (अवर सचिव या समकक्ष अधिकारी) रु० 900-50-1250।

(3) अनुभाग अधिकारी ग्रेड—रु० 350-25-500-30-590-द० रो०-30-800-द० रो०-30-830-35-900।

(4) सहायक ग्रेड : रु० 210-10-270-15-300-द० रो०-15-450-द० रो०-20-530।

नोट : जो सहायक, अनुभाग अधिकारियों के पद पर पदोन्नत किए जाते है, उन्हें कम से कम 400 रु० प्रति मास वेतन दिया जाएगा।

(2) सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा। इस परिवीक्षा अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होगी। यदि परिवीक्षाधीन सहायक प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सकें तो उसे सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

(3) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि का जितना उचित समझे और बढ़ा सकती है।

(4) केन्द्रीय सचिवालय सेवामें भर्ती किए गए सहायकों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में शामिल किसी एक मंत्रालय या कार्यालय में नियुक्त किया जा सकता है। तथापि उन्हें किसी भी समय ऐसे किसी एक मंत्रालय या कार्यालय में स्थानान्तरण किया जा सकता है।

(5) सहायक इस संबंध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे।

(6) जिन व्यक्तियों को उनके अपने ही विकल्प के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड में नियुक्त किया गया हो वे अपनी इस नियुक्ति के बाद भारतीय विदेश सेवा (ख) या रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा योजना के संवर्ग (केडर) के किसी पद पर स्थानान्तरण या नियुक्त का दावा नही कर सकेंगे।

(ii) भारतीय विदेश सेवा (ख)

विदेश मंत्रालय में और विदेशों में स्थित भारतीय राजनयिक कांसुली एवं वाणिज्यिक दूतावासों व केन्द्रों में सहायकों के सभी पद तथा विदेश व्यापार मंत्रालय में सहायकों के कुछ पद भारतीय पद भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड 4 में सम्मिलित है। ग्रेड 4 के नीचे के ग्रेडों को छोड़कर भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के विभिन्न ग्रेड निम्नलिखित हैं :—

ग्रेड	पद	वेतनमान
ग्रेड-I	मुख्यालय में अवर सचिव, विदेश में स्थित दूतावासों और केन्द्रों में प्रथम और द्वितीय सचिव।	रु० 900-50-1250
एकीकृत ग्रेड II और III (अटाशी)	मुख्यालयों में सहचारी और अनुभाग अधिकारी विदेशों में स्थित दूतावासों और केन्द्रों में उप कांसुल और रजिस्ट्रार।	रु० 350-25-500-30-590-द० रो०-30-800-द० रो०-30-830-35-900।
ग्रेड-IV	मुख्यालय में तथा विदेशों में स्थित दूतावासों और केन्द्रों में सहायक।	रु० 210-10-270-15-300-द० रो०-15-450द० रो०-20-530।

टिप्पणी :—एकीकृत ग्रेड II और III में पदोन्नत सहायकों को कम से कम 400 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है।

2. भारतीय विदेश सेवा (ख) के संवर्ग के ग्रेड IV (सहायक) के लिए चुने गए उम्मीदवारों को प्रारम्भ में अस्थायी रिक्तियों में नियुक्त किया जायगा। फिर भी, वे अन्यथा पात्र होने पर अपनी बारी में, भारतीय विदेश सेवा (ख) (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम 1964 के अनुसार स्थायी किए जाएंगे। किन्तु यह अभिस्थायी रिक्त स्थानों की उपलब्धि पर निर्भर होगा। उम्मीदवारों की ग्रेड IV में नियुक्ति सामान्यतया संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित क्रमानुसार की जाएगी। यदि विदेशसेवा में सेवा के योग्य नहीं पाए जाने पर उन्हें अस्वीकार न किया गया हो। विदेश सेवा के लिए उनकी उपयुक्तता को निर्धारण करने के लिए उम्मीदवार को, एक चयन ग्रेड जो विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा गठित किया जायगा के समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा।

3. भारतीय विदेश सेवा (ख) में सामान्य संवर्ग के ग्रेड IV में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रखा जायगा। इस दौरान उन्हें ऐसे प्रशिक्षण लेने होंगे और ऐसी परीक्षायें पास करनी होंगी जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई हों। प्रशिक्षण

के दौरान संतोषजनक प्रगति न करने अथवा परीक्षाएं पास न करने के फलस्वरूप परिवीक्षाधीन को नौकरी से निकाला जा सकता है।

4. भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्त किए गए व्यक्तियों का केन्द्रीय सचिवालय सेवा और रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा संवर्ग में शामिल पदों पर नियुक्त किये जाने का अधिकार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हें भारत अथवा विदेश सेवा के किसी पद पर नियुक्त किया जाय सेवा करने को बाध्य होंगे।

5. भारतीय विदेश सेवा (ख) के सदस्य जब भारत में सेवायें हों तो उन्हें अपने मूल वेतन के अतिरिक्त ऐसे भत्ते भी मिलेंगे जो अन्य केन्द्रीय सरकार के समान पद धारण करने वाले कर्मचारियों को मिलते हैं। जब ये अधिकारी विदेश में नियुक्त किए जाते हैं तो कुछ रियायतें पाने के हकदार होंगे—जैसे उनके लाभ के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित स्केल के अनुसार विशेष भत्ता, निशुल्क फर्नीचर युक्त निवास स्थान, बच्चों का शिक्षण भत्ता, सज्जा भत्ता और उनके तथा उनके परिवार इत्यादि के लिए यात्रा भाड़ा इत्यादि किया जाता है। ये रियायतें ऐसे सामान्य निर्णयों के अनुसार जो कि सरकार लेती है वापस ली जा सकती हैं, संशोधित की जा सकती हैं अथवा बढ़ाई जा सकती हैं।

6. भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्त सभी अधिकारी भारतीय विदेश सेवा (शाखा–ख) (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम 1964 के अधीन और अन्य ऐसे नियमों और विनियमों के अधीन होंगे जो सेवा पर लागू होने के लिए सरकार भविष्य में बनाये।

7 भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग (सहायक) के ग्रेड-1 में नियुक्त व्यक्ति, भारतीय विदेश सेवा (शाखा–ख) (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम 1964 में समाविष्ट उपबंधों के अनुसार उच्च ग्रेडों में पदोन्नति पाने के पात्र होंगे।

नोट :—भारतीय विदेश सेवा (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम 1961 के अनुसार भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड-1 के अधिकारियों को भारतीय विदेश सेवा (क) के वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति के लिए 900–50–1000–60–1600–50–1800 के वेतनमान में सीमित कोटा उपलब्ध है।

(III) रेलवे बोर्ड सचिवालय

(क) जहां तक भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि का संबंध है, रेलवे मंत्रालय में नियुक्ति कर्मचारियों की सेवा की शर्तें रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 1969 द्वारा नियमित होती है, जो मोटे तौर पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम 1962 के समान ही हैं।

(ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में नीचे लिखे ग्रेड शामिल हैं :—

(I) चयन ग्रेड.	संयुक्त निदेशक/उप-सचिव रेलवे बोर्ड के ग्रेड के ऐसे पद जो रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर धारण किये जाते हैं।	रु० 1100–50–1300–60–1600–100–1800
(II) (क) उप-निदेशकों का ग्रेड :	उप-निदेशक रेलवे बोर्ड के ऐसे पद जो रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर धारण किए जाते है।	रु० 900–50–1250 तथा साथ में विशेष वेतन 200 रु० मासिक
(ख) ग्रेड I	सहायक निदेशक और अवर सचिव	रु० 900–50–1250
(III) अनुभाग अधिकारी ग्रेड		रु० 350–25–500–30–590 –द० रो०–30–800–द० रो०–30–830–35–900।
(IV) सहायक ग्रेड		रु० 210–10–270–15–300 –द० रो०–15–450–द० रो०–20–530।

अनुभाग अधिकारियों और सहायकों के पदों पर सीधी भर्ती की जाती है। जो सहायक, अनुभाग अधिकारियों के पद पर पदोन्नत किय जाते हैं, उन्हें कम से कम 400 रु० प्रतिमास वेतन दिया जाता है।

(ग) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा रेलवे मंत्रालय तक ही सीमित है और इसके कर्मचारियों का स्थानान्तरण केन्द्रीय सचिवालय सेवा की भांति अन्य मंत्रालयों को नहीं हो सकता है।

(घ) सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों को सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सकें तो उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा।

(ङ) सहायक इस संबंध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ऊँचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे।

(च) इन नियमों के अन्तर्गत भर्ती किए गए रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारी :

(i) पेंशन के लाभों के पात्र होंगे, और

(ii) जिस दिन कार्य संभाले उन तारीख को नियुक्त रेलवे कर्मचारियों पर लागू होने वाले गैर-सरकारी राज्य रेल भविष्य निधि के नियमों के अन्तर्गत निधि में अभिदाय करेंगे।

(छ) रेल मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों के समान ही पास और सुविधा टिकट (पी टी ओ) की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ज) जहां तक छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में शामिल किए गए कर्मचारियों को रेलवे के अन्य अधिकारियों के समान ही समझा जाता है, परन्तु

चिकित्सा सुविधाओं के मामले में इन पर वे ही नियम लागू होंगे केन्द्रीय सरकार के उन अन्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं, जिनके मुख्यालय नई दिल्ली में हैं।

(IV) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा

सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवाओं में इस समय नीचे लिखे पांच ग्रेड हैं :—

(1) संयुक्त निदेशक (श्रेणी–I) रु० 1300–60–1600

(2) वरिष्ठ सिविल स्टाफ अफसर (श्रेणी–I) रु० 1100 50–1400।

(3) सिविलियन स्टाफ अफसर (श्रेणी–I) रु० 740 30–800–50–1150।

(4) सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी (श्रेणी–II) (राजपत्रित) रु० 350–25–500–30–590–द० रो०–30–800।

(5) सहायक (श्रेणी–II—अराजपत्रित) रु० 210–10–270–15–300–द० रो०–15–450–द० रो०–15–450–20–530।

नोट :—सहायक के ग्रेड के अधिकारी को सहायक सिविल स्टाफ अधिकारी के ग्रेड पर पदोन्नत होने पर सहायक सिविल स्टाफ अधिकारी के ग्रेड के वेतनमान में कम से कम 400 रु० का आरम्भिक वेतन दिया जायगा।

(2) सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा। इस परिवीक्षा अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि परिवीक्षाधीन सहायक अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उसे सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

(3) परिवीक्षा-अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या सरकार की राय में उसका कार्य आ आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को, जितना उचित समझे, और बढ़ा सकती है।

(4) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में भर्ती किए गए सहायकों को सेवा मुख्यालय या सशस्त्र सेना मुख्यालय सेवा योजना में शामिल अन्तर सेवा संगठनों में से किसी एक में नियुक्त किया जा सकता है। तथापि, उन्हें किसी भी समय ऐसे किसी अन्य मुख्यालय या कार्यालय में स्थानान्तरित किया जा सकता है।

(5) सहायक इस संबंध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ऊँचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे।

(6) जो व्यक्ति सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा सहायकों के ग्रेड में नियुक्त हो गए हैं उनका, ऐसी नियुक्ति के उपरान्त, इस सेवा से बाहर किसी पद पर नियुक्ति अथवा स्थानांतरण के लिए कोई अधिकार नहीं होगा।

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

पत्रिका पक्ष

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर 1972

संकल्प में संशोधन

सं० फा० 22/4/69-पत्रि० (प्रशा०)—विधि और न्याय मंत्रालय के संकल्प सं० 22/4/69-पत्रि० (प्रशा०) तारीख 1 मार्च, 1972 में, जो हिन्दी में मानक विधि पुस्तकों के लेखन, अनुवाद और प्रकाशन की स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सलाह देने के लिए मूल्यांकन समिति की संरचना के सम्बन्ध में है, क्रम संख्या 2 और उस क्रम संख्या के सामने की प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रति-स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"श्री के० के० सुन्दरम्,
संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी,
जो आज-कल सचिव, विधायी विभाग,
विधि और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली
का कार्यभार संभाले हुए हैं।

सदस्य
(पदेन)
एन० के० सेठ, अवर सचिव

वित्त मन्त्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर 1972

संकल्प

सं० पी० एफ०/आर० 9(5)/72—भारत सरकार ने कृषि सम्पत्ति और आय पर कराधान सम्बन्धी समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की समय-सीमा को 31 अक्तूबर, 1972 तक बढ़ाने का निश्चय किया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि सर्व-साधारण की सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और उस की प्रतियां समिति के अध्यक्ष और सदस्यों, भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों और सभी राज्य सरकारों तथा संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को भेजी जायं।

भैरव दत्त पाण्डे, सचिव

विदेश व्यापार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर 1972

संकल्प

सं० 14 (9)-प्लांट (ए०)/66—भारत के राजपत्र में प्रकाशित विदेश व्यापार मंत्रालय संकल्प सं० 14 (9)-प्लांट (ए)/66 दिनांक 13 जुलाई, 1972 में उसके पैराग्राफ 2 में दिए गए सलाहकार बोर्ड के गठन में निम्नलिखित परिवर्तन किए जायेंगे, अर्थात्

(1) क्र० सं० (4) के सामने दिए गए
श्री एन० एन० मल्हन,
उप-निदेशक,
विदेश व्यापार मंत्रालय
के स्थान पर कृपया

श्री पी० वी० रामस्वामी,
उप-सचिव,
विदेश व्यापार मंत्रालय रखिए ।

(2) क्र० सं० (5) में दिये गये
श्री जे० सी० क्राफोर्ड,
प्रबंध-निदेशक,

मैसर्स आक्टेवियम स्टील एण्ड कं० लि०
के स्थान पर कृपया मैसर्स आक्टेवियस स्टील एण्ड कं० लि० के श्री एम० गोयनका रखिए ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

एम० एन० गुप्त, अवर सचिव

औद्योगिक विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 सितम्बर 1972

संकल्प

सं० 7011/1/70-साल्ट—इस मंत्रालय के संकल्प सं० 07011/1/70-साल्ट दिनांक 9 जुलाई 1971 के क्रम में जिसके द्वारा नमक के लिए केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय सलाहकार बोर्डों का पुनर्गठन किया गया है, भारत सरकार ने नीचे दिए गए स्थानों पर निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करने का निर्णय किया है:—

(3) **पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा**

नाम तथा पता	स्थान संख्या और श्रेणी
1. श्री के० एन० पाठक, संयुक्त सचिव, नंगपुर लेबर यूनियन, पो० आ० बीरमित्रापुर, द० पु० रेलवे जिला सुन्दरगढ़ (उड़ीसा) ।	3. श्रम समस्याओं की जानकारी और अनुभव रखने वाला व्यक्ति ।

(5) **गुजरात**

नाम तथा पता	स्थान संख्या और श्रेणी
1. श्री रनछोड़ भाई ज० पटेल, सचिव, मजूर महाजन संघ, महात्मा गांधी रोड़, कलोल (उत्तर गुजरात)	3. श्रम समस्याओं की जानकारी और अनुभव रखने वाला व्यक्ति ।
2. श्री आई० ए० उस्मानी, महासचिव, गुजरात रिफाइनरी कामदार संघ, 6-5, सदर्न टाउनशिप, पोस्ट जवाहर नगर, जिला बड़ौदा, (गुजरात) ।	4. श्रम समस्याओं की जानकारी और अनुभव रखने वाला व्यक्ति ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, योजना आयोग और प्रधान मंत्री सचिवालय को भेजा जाये ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत का राजपत्र, भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशित किया जाय ।

आई० वी० चुनकत, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 सितम्बर 1972

संकल्प

सं० 1-5/72-एच० एम०-2—उपभोक्ता एककों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उर्वरक और रसायन संयंत्रों की निर्माण संबंधी समस्याओं की जांच करने के लिए स्थायी समिति का गठन ।

उर्वरक उद्योग के लिए उपकरण के निर्माण से संबंधित विभिन्न कठिनाइयों को दूर करने तथा उपभोक्ता एककों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उर्वरक तथा रसायन संयंत्रों के विनिर्माण की समस्याओं पर विचार करने की दृष्टि से भारत सरकार ने एक स्थायी समिति का गठन करने का निश्चय किया है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

1. महानिदेशक,
तकनीकी विकास,
नई दिल्ली
(श्री के० वी० राव) — अध्यक्ष
2. श्री एच० एच० जेठानान्दानी,
मुख्य यांत्रिक इंजीनियर,
योजना तथा विकास प्रभाग,
सिन्दरी फर्टिलाइजर कारपोरेशन
आफ इण्डिया, सिन्दरी । — सदस्य
3. श्री जे० माधवन,
मुख्य इंजीनियर,
दि फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स
ट्रावनकोर लि०, उद्योग मण्डल
कोचीन होकर — सदस्य
4. श्री ए० पी० राव, मुख्य इंजीनियर
अथवा वैकल्पिक रूप में श्री वी० के० रामन,
उप मुख्य इंजीनियर, भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स,
विशाखापतनम, आ० प्र० — सदस्य
5. श्री एम० एम० रिजवी,
अध्यक्ष, यांत्रिक इंजीनियरी विभाग,
भारतीय मानक संस्था,
बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली — सदस्य
6. श्री वी० एम० सेन, वैज्ञानिक
सी० एस० जेड०, आर०, सी० एम० ई० आर० आई०,
दुर्गापुर । — सदस्य
7. इण्डो बेरोलीना इण्डस्ट्रीज के
श्री एम० टी० शाह, कैमिकल प्लांट
एण्ड कशीनरी एसोसिएशन आफ इण्डिया के

नामिक व्यक्ति के रूप में,
द्वारा केमिकल प्लांट एण्ड मशीनरी,
एसोसिएशन आफ इण्डिया,
बेल्लार्ड एस्टेट पो० बा० नं० 473,
बम्बई। सदस्य

8. श्री यू० जी० एम० राव,
इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड,
4-पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली। सदस्य

9. श्री के० पी० भट,
विकास अधिकारी,
इस्पात तथा खान मंत्रालय,
इस्पात विभाग, उद्योग भवन,
नई दिल्ली। सदस्य

10. श्री एम० सत्यपाल,
अतिरिक्त सलाहकार (आई० एण्ड एम),
योजना आयोग, योजना भवन,
पार्लियामेंट स्ट्रीट.
नई दिल्ली सदस्य

11. श्री एस० सी० बनर्जी, ओद्योगिक सलाहकार.
तकनीकी विकास का महानिदेशालय
सदस्य सचिव

2. समिति के कार्य निम्नलिखित होंगे :—

(1) समिति, उर्वरक संयंत्र के लिए मशीनों के निर्माण में समय-समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर भी विचार करेगी। उदाहरण के लिए उर्वरक संयंत्रों के निर्माताओं को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनमे एक कठिनाई विशिष्टियों की अधिक होने से संबंध में ही।

(2) समिति, भारतीय मानक संस्था की सहायता से इन विशिष्टियों का मानकीकरण करने के संबंध में फर्टिलाइज़र कारपोरेशन आफ इण्डिया को सलाह देगी।

(3) समिति, उर्वरक मशीनी उद्योग की विशिष्टि समस्याओं की जांच करेगी तथा उपयुक्त हल ढूंढ़ निकालने में उनकी सहायता करेगी। समिति अग्रिम योजना बनाने पर और अधिक बल देने के पहलू पर भी विचार करेगी, जिससे, उर्वरक के तेजी से हुए उत्पादन की आवश्यकताओं के बदले आयात प्रतिस्थापन को संतुलित कर सके और सरकार द्वारा विचार किये जाने के लिए समय-समय पर ठोस सिफारिशें की जा सकें।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि भारत का राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस० एम० घोष, संयुक्त सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 सितम्बर 1972

सं० सी० 11013/1/72-वानिको/वन वि०—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) ने इस मंत्रालय के संकल्प संख्या 6-20/49-व० वि० दिनांक 19 जून, 1950 के अनुसार गठित तथा जिसे संकल्प संख्या 3-5/69-व० वि० दिनांक 30 मई, 1972 के अनुसार अंतिम रूप से संशोधित किया गया था, केन्द्रीय वन मण्डल में निम्नलिखित संसद सदस्यों को कार्य करने के लिए नियुक्त करने का निर्णय किया है:—

1. श्री पी० गंगा रेड्डी,
सदस्य, लोक सभा।
2. श्री तजा सिंह स्वेतंत्र,
सदस्य, लोक सभा।
3. श्री त्रिलोकी सिंह,
सदस्य, राज्य सभा।

रूप राम, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर 1972

सं० 29(1)/72-समन्वय-1/भा० कृषि० अ० परिषद्—भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की नियमावली के नियम 75 के उपबंधों के अधीन कृषि मंत्री निम्नलिखित व्यक्तियों को 8 जुलाई, 1972 से 3 वर्ष की अवधि अथवा मंत्री द्वारा समिति में उनका उत्तराधिकारी मनोनीत किये जाने तक, इनमें से जो भी अवधि पहले समाप्त हो, सोसाइटी की कृषि शिक्षा की स्थायी समिति का सदस्य सहर्ष मनोनीत करते हैं—

सदस्य	पदनाम से
1. उपमहानिदेशक	(पशु विज्ञान), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली-1
2. उप-महानिदेशक	(फसल विज्ञान), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नयी दिल्ली-1
3. उप-महानिदेशक (शिक्षा एवं केन्द्र राज्य सम्बन्ध)।	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दल्ली-1।
4. उप-महानिदेशक (मृदा, सस्यविज्ञान एवं इंजीनियरी)।	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली-1
5. डीन, स्नातकोत्तर, विद्यालय,	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-12।
6. निदेशक	भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश।

सदस्य (नाम से)

7. डा० एल० एस० चन्द्रकान्स, सलाहकार, तकनीकी शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई विल्ली-1।

8. श्री एम० के० चक्रवर्ती, उपकुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना (बिहार)।

9. श्री टी० एस० अविनाशीलिंगम चेट्टियर, निदेशक, श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय, पोस्ट, कोयम्बटूर जिला : (तमिलनाडु)।

10. डा० के० के० इया, दी कोका कोला एक्स पोर्ट कार्पोरेशन, 14-ए०, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली-13।

11. प्रो० बी० एम० जौहरी, अध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान, विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-7।

12. डा० अार० एम० खां, आचार्य, वनस्पति रोगविज्ञान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।

13. डा० डी० एस० कोठारी, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 1।

14. डा० बी० वी० मेहता, प्रधानाचार्य, कृषि महाविद्यालय, आनंद, गुजरात।

15. डा० एम० के० मुखर्जी, सदस्य राष्ट्रीय कृषि आयोग, विज्ञान भवन एनेक्सी, नई दिल्ली-11।

16. श्री जे० पी० नायक, सलाहकार शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-1।

17. डा० के० सी० नायक, उप कुलपति, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय पोस्ट बेग नं० 1, मालेश्वरम, बंगलौर-3।

18. डा० एल० एस० नेगी, उप-कुलपति, असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट-4, असम।

19. श्री ए० सी० पड्या, निदेशक इंजीनियरी, राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्ड, आनंद, गुजरात।

20. डा० एम० एस० पवार, उप-कुलपति, महात्माफूले कृषि विद्यापीठ रहुरी, जिला अहमद नगर (महाराष्ट्र)।

21. डा० (श्रीमती) लीला फड़नीस, डीन, गृह विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान)।

22. डा० जी० रगांस्वामी, उप-कुलपति, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर-3।

23. डा० एन० के० अनन्तराव, डीन, कृषि, महाविद्यालय, गोबिन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर, (जिला नैनीताल)।

24. श्री जे० रघोत्तम रेड्डी, 'वृंदावन' 173, फतेहमैदान, नार्थ रोड, हैदराबाद :

25. श्रीमती क्यू० के० सोनी, प्रोग्रेसिव फार्मर, द्वारा मेजर जनरल के० सी० सोनी, ए० बी० एस० एम० दपोड़े, पूना-31।

26. डा० बर्टी 'डी' सुजा, मकान नं० 16, क्लेमेंटस रोड, वेपरी, मद्रास-7।

27. प्रो० एन० के० वेलंकर, निदेशक, केन्द्रीय मात्स्य एवं शिक्षा संस्थान, वरसोवा, बम्बई।

28. और 29. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दो प्रतिनिधि।

टी० एस० पृथी, अवर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक सितम्बर 1972

सं० 72/आर० ई०/161/23—पश्चिम रेलवे के काम पूरा हो चुके निम्नलिखित खंडो पर स्थित रेलवे लाइनों और परिसरों के सभी उपयोग कर्ताओं को एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि खंड के सामने दी गई तारीख से 1500 वोल्ट डी० सी० ऊपरी कर्षण तार ऊर्जित कर दिये जायेंगे। उस तारीख को और उस तारीख से ऊपरी कर्षण लाइन को हर समय बिजलीयुक्त माना जायगा और कोई भी अनधिकृत व्यक्ति न तो कथित ऊपरी लाइनों के निकट जायगा न काम करेगा।

खंड	तारीख
1. बान्दरा विन्यास यार्ड	1-9-72
2. जोगेश्वरी—गोरेगांव यार्ड	15-9-72
3. भायंदर—मीरारोड यार्ड	25-9-72
4. विरार यार्ड	5-10-72
5. विरार यार्ड से निरावेशित खंड तक (कि० मी०-64)।	15-10-72

सड़क उपयोगकर्ताओं को चेतावनी

सं० 72-आर०ई०/161/23—सर्व साधारण को यह सूचित किया जाता है कि पश्चिम रेलवे के निम्नलिखित खंडो के ऊपर 1500 वोल्ट डी० सी० बिजली कर्षण चालू करने के सम्बन्ध में इस उद्देश्य से कि अत्यधिक ऊंचाई तक लदे सामान को बिजलीयुक्त कर्षण तारों को छूने के खतरे से बचाया जा सके सभी समपारों पर सड़क की सतह से 15'-4" की स्पष्ट ऊंचाई पर ऊंचाई मापक लगा दिये गये हैं। जनता को एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि वे वाहन में भार लादते समय ऊपर बतायी गयी ऊंचाई को ध्यान में रखें और यह सुनिश्चित करें कि सड़क वाहनों द्वारा ढोये जाने वाले भार से किसी भी स्थिति में ऊंचाई मापकों का उल्लंघन न हो।

अत्यधिक ऊंचाई तक भार लादने में निम्नलिखित खतरे हैं:—

1. ऊंचाई मापक को खतरा और फलस्वरूप सड़क और रेलवे लाइन पर बाधा।

2. ढोये जाने वाले सामान या उपस्कर या स्वयं वाहन को खतरा।

3. बिजलीयुक्त कन्डक्टरों से छू जाने या खतरनाक निकटता तक पहुंच जाने के कारण आग लगने का खतरा और जीवन को जोखिम।

खंड	तारीख
1. बान्दरा विन्यास यार्ड	1-9-72
2. जोगेश्वरी—गोरेगांव यार्ड	15-9-72
3. भायंदर—मीरारोड यार्ड	25-9-72

1	2
4. विरार यार्ड	5-10-72
5. विरार यार्ड से निरावेशित खंड तक (कि० मी० 64)	15-10-72

एच० एफ० पिंटो, सचिव
रेलवे बोर्ड

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 सितम्बर 1972

सं० क्यू०-16011(1)/72-डब्ल्यू० ई०—इस विभाग की अधिसूचना संख्या क्यू० 160-11(3)/71-डब्ल्यू० ई० तारीख 29 नवम्बर, 1971 में:—

"श्री एन० पी० दुबे, संयुक्त सचिव", शब्दों को "श्री एन० पी० दुबे, अपर सचिव" शब्दों द्वारा **प्रतिस्थापित** किया जायेगा।

दिनांक 25 सितम्बर 1972

सं० क्यू०-16011(2)/72-डब्ल्यू० ई०—केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 3(छ) (iii) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्द्वारा श्री टी० एस० गिल, आई० ए० एस०, सचिव, असम सरकार, श्रम विभाग को, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिये केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड में, असम सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करती है।

2. तदनुसार, श्रम और पुनर्वास मंत्रालय की समय-समय पर संशोधित अधिसूचना संख्या ई० एण्ड पी०-4(24)/58, तारीख 12, दिसम्बर, 1958/अग्रहायण 29, 1880 में निम्नलिखित परिवर्तन किये जायेंगे:—

वर्तमान प्रविष्टि अर्थात् :—

"5. श्री गंगाधर मण्डल,
श्रमायुक्त,
बिहार सरकार,
पटना,"

के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां **प्रतिस्थापित** की जाएंगी:—

"5. श्री टी० एस० गिल, आई० ए० एस०
सचिव, असम सरकार,
श्रम विभाग,
शिलांग"।

हंसराज छाबड़ा, उप-सचिव

श्रम और रोजगार विभाग (रो० प्र० महानिदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 1972

संकल्प

सं० ई० ई०-एक-200 (10)/71—श्रम और पुनर्वास मंत्रालय, श्रम और रोजगार विभाग (रोजगार व प्रशिक्षण महानिदेशालय) संकल्प संख्या एम० पी०-10 (100)/69, दिनांक 19 दिसम्बर, 1970 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री जी० एल० शुक्ल, विकास आयुक्त, मध्य प्रदेश सरकार को श्री एन० सुन्दरम के स्थान पर बेरोजगारी संबंधी विशेषज्ञ समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड 1 में प्रकाशित किया जाए।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघीय क्षेत्रों के प्रशासनों तथा अन्य सभी पक्षों को भेजी जाए।

ग० जगन्नाथ, उप-सचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 7th September 1972

No. 3/1/*ECI*/72.—The Speaker has been pleased to appoint Shri L. D. Kotoki as Chairman of the Committee on Estimates with effect from the 7th September, 1972 *vice* Shri K. N. Tewari on tour abroad.

M. S. SUNDARESAN, Dy. Secy.

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

New Delhi, the 14th October 1972

Rules

No. 6/42/72-CSI.—The Rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1973 for the purpose of filling vacancies in the following Services/posts are published for general information :—

(i) Grade IV of the General Cadre (Assistants) of the Indian Foreign Service (B);

(ii) Grade IV (Assistants) of the Railway Board Secretariat Service;

(iii) Assistants' Grade of the Central Secretariat Service;

(iv) Assistants' Grade of the Armed Forces Headquarters Civil Service; and

(v) Posts of Assistant in other departments and Attached Offices of the Government of India not participating in the I.F.S. (B)/Railway Board Secretariat Service/Central Secretariat Service/Armed Forces Headquarters Civil Service.

A candidate may compete in respect of any one or more of the Services/posts mentioned above. He may specify in his application as many of these Services/posts as he may wish to be considered.

N.B.—Candidates are required to specify clearly the order of preferences for the Services/posts for which they wish to be considered. No request for alteration in the order of preferences for the Services/posts originally indicated by a candidate in his application, would be considered unless such a request is received in the office of the Union Public Service Commission on or before 30th November 1973.

2. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix II to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

3. A candidate must be either :—

(a) a citizen of India or

(b) a subject of Sikkim or

(c) a subject of Nepal, or

(d) a subject of Bhutan or

(e) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka (formerly known as Ceylon) and East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

4. No candidate who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or is not a resident of the Union Territory of Pondicherry or is not a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu or is not a migrant from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) shall be permitted to compete more than two times at the examination. This restriction is effective from the examination held in 1962.

NOTE 1.—For the purpose of this rule, a candidate shall be deemed to have competed at the examination once for all the Services/posts covered by the examination, if he competes for any one or more of the Services/posts.

NOTE 2.—A candidate shall be deemed to have competed at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

5. (a) A candidate for this examination must have attained the age of 20 years and must not have attained the age of 25 years on the 1st January, 1973 *i.e.*, he must have been born not earlier than 2nd January, 1948 and not later than 1st January, 1953.

(b) The upper age limit prescribed above will be relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person, from erstwhile East Pakistan and had migrated to India on or after 1st January, 1964 but before 25th March 1971;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan and had migrated to India on or after 1st January 1964 but before 25th March 1971;

(iv) up to a maximum of five years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondichery and has received education through the medium of French at some stage;

(v) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka (formerly known as Ceylon) and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964.

(vi) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian original from Sri Lanka (formerly known as Ceylon) and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964.

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda or the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) up to maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June 1963;

(x) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(xi) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes; and

(xii) up to a maximum of three years, if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu.

(c) The Freedom Fighters of Goa, Daman and Diu who were not employees of the portuguese Government of Goa, Daman and Diu and participated in the liberation struggle and suffered as a consequence thereof, imprisonment or detention for not less than six months under former Portuguese Administration, will be permitted to appear at the examination provided they have not attained the age of 35 years on 1st January, 1972.

NOTE :—Candidates claiming age concession under rule 5(c) above will not be entitled to the age concessions allowed under rule 5(b) above.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

6. A candidate must hold a degree of any of the universities enumerated in Appendix I or must possess any of the qualifications mentioned in Appendix I-A.

NOTE I.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply, provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examination, such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination, as soon as possible, and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

NOTE II.—In exceptional cases, the Union Public Service Commission may treat a candidate who has not any of the above qualifications, as educationally qualified provided that he has passed an examination, conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

NOTE III.—Candidates who are otherwise eligible but who have taken degrees from foreign universities which are not included in Appendix I may also apply and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

7. No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or,

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

8. A candidate already in Government Service, whether in a permanent or temporary capacity or as a work-charged employee other than a casual or daily-rated employee must obtain prior permission of the Head of the Department to appear for the examination.

9. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate, who after such medical examination, as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

10. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service/post.

11. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

12. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

13. Candidates must pay the fee prescribed in Annexure I to the Commission's Notice.

14. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

15. A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall, may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution.—

(a) be debarred permanently or for a specified period :

(i) by the Commission, from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates; and

(ii) by the Central Government from employment under them.

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules, if he is already in service under Government.

16. Reservation shall be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Part C States) Order, 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, and the Constitution (Scheduled Tribes) (Part C States) Order, 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956 read with the Bombay Reorganisation Act, 1960 and the Punjab Reorganisation Act, 1966; the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968 and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

17. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination :

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for appointment to the Services/posts, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

18. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion, and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

19. Due consideration will be given, at the time of making appointments on the results of the examination, to the preferences expressed by a candidate for various Services/posts, (cf. col. 25 of the application form).

20. Appointments will be made on probation for a period of two years. The period of probation may be extended, if considered necessary.

21. Candidates will be required to pass a test in typewriting at a minimum speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi within a period of two years from the date of appointment to the Assistants' Grade. In the event of their failure to pass the test within the prescribed periods they shall not be entitled to draw any further increments in the Assistants' Grade until they pass such test or are exempted from this requirement under a special or general order and on passing or being exempted from the test, their pay shall be refixed as if their increments had not been withheld, but no arrears of pay shall be allowed for the period the increments had been withheld.

22. Conditions of Service for Assistants in the Central Secretariat Service, Indian Foreign Service (B), the Railway Board Secretariat Service, and the Armed Forces Headquarters Civil Service, are briefly stated in Appendix III.

M. K. VASUDEVAN, Under Secy.

APPENDIX I

List of Universities approved by the Government of India (*Vide* Rule 6)

Indian Universities

Any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational Institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956

Universities in Burma

The University of Rangoon.

The University of Mandalay.

English and Welsh Universities

The Universities of Birmingham, Bristol, Cambridge, Durham, Leeds, Liverpool, London, Manchester Oxford, Reading, Sheffield and Wales.

Scottish Universities

The Universities of Aberdeen, Edinburgh, Glasgow and St Andrews.

Irish Universities

The University of Dublin (Trinity College), The National University of Ireland, The Queen's University, Belfast.

Universities in Pakistan

The University of Punjab, The University of Sind.

Universities in Bangladesh

The Dacca University.

The Rajshahi University.

University in Nepal

The Tribhuvan University, Kathmandu.

APPENDIX I-A

List of qualifications recognised for admission to the examination (*Vide* Rule 6)

1. Alankar degree of Gurukul Vishwa Vidyalaya, Kangri, Hardwar.
2. Shastri of Kashi Vidyapith, Varanasi.
3. French Examination "Propedeutique".
4. Diploma in Rural Services of the National Council of Rural Higher Education.

5. Diploma in Rural Services of the Visva Bharati University.

6. Diploma in Commerce of All India Council for Technical Education.

7. National Diploma in Engineering or Technology of the All India Council for Technical Education, recognised by the Government for recruitment to superior Services and posts under the Central Government.

8. Diploma in Mining Engineering of the Indian School of Mines, Dhanbad.

9. 'Higher Course' of Sri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry, provided that the Course has been successfully completed as a "full" student.

10. Shastri (with English) or Old Shastri or Sampurna Shastri examination with special examination in additional subjects with English as one of the subjects, *i.e.* Varishta Shastri of Varanaseya Sanskrit Viswavidyalaya, Varanasi.

11. Diploma in the field of Humanities and Natural Sciences attesting graduation from a Higher Educational Establishment in the U.S.S.R. without defending first scientific thesis but having passed the State Examinations.

APPENDIX II

The subjects of the examination the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows :—

	Max. Marks	Time Allowed
1. Essay	100	2 hours
2. General English	200	3 hours
3. Arithmetic	100	2 hours
4. General Knowledge including Geography of India	100	2 hours

2. The syllabus for the examination will be as shown in the attached Schedule.

3. Candidates are allowed the option to answer Paper 1 or Paper 4 or both, either in Hindi (Devanagari) or in English. Paper 2 and Paper 3 must be answered in English by all candidates.

NOTE 1.—The option will be for a complete paper and not for different questions in the same paper.

NOTE 2.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid paper(s) in Hindi (Devanagari) should indicate their intention to do so in col. 8 of the application form. Otherwise it would be presumed that they would answer all the paper(s) in English.

The option once exercised shall be treated as final; and no request for alteration in the said column shall be entertained.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

5. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

6 Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

7. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks for the written subjects will be made for illegible handwriting.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

9. Candidates are expected to be familiar with the metric system of Coins, Weights and Measures. In the question paper, wherever necessary, questions involving the use of metric system of Coins, Weights and Measures may be set.

SCHEDULE

SYLLABUS OF THE EXAMINATION

(1) Essay : An essay to be written on one of the several specified subjects.

(2) General English :

(i) Precis writing and draftings. Questions to test their understanding and power to write English. Passages will usually be set for summary or precis. Candidates will also be required to draft letters, memoranda, etc., making an intelligent use of given matter.

(ii) Questions on synonyms, antonyms, idiomatic use of words and phrases and common errors.

(iii) Parts of speech, analysis, syntax and direct and indirect speech.

NOTE.—In paper 2, questions on precis writing will carry 75 marks, drafting 75 marks and those on grammer, idioms etc. 50 marks.

The object of papers 1 and 2 is to test the candidates' ability to write the language correctly. Account will be taken of arrangements, general expression and workmanlike use of the languae.

(3) Arithmetic :

Ratio and proportion, percentage, average, graphical representation of data, reading of linear graphs and tabulation of data.

The questions will be designed to test intelligence, accuracy and rapidity in working.

(4) General Knowledge including Geography of India :

Knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subjects. The paper will include questions on geography of India The paper may also include questions on History of India of a nature which candidats should be able to answer without special study.

APPENDIX III

Brief particulars relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this examination.

1. (i) Central Secretariat Service.

The Central Secretariat Service has at present four grades as follows :—

(1) Selection Grade (Deputy Secretary or equivalent)= Rs. 1100—50—1,300—60—1,500—100—1,800.

(2) Grade I (Under Secretary or equivalent)=Rs. 900—50—1,250.

(3) Section Officers Grade—Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.

(4) Assistants Grade—Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

NOTE.—Assistants promoted as Section Officers are allowed a minimum pay of Rs. 400 p.m.

(2) Persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

(3) On conclusion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or if his work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Assistants recruited to the Central Secretariat Service will be posted to one of the Ministries or Offices participating in the Central Secretariat Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other such Ministry or Office.

(5) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed to the Assistants' Grade of the Central Secretariat Service in pursuance of their option for that Service will not, after such appointment, have any claim for transfer or appointment to any post included in the cadre of the Indian Foreign Service (B) or the Railway Board Secretariat Service Scheme.

(ii) *Indian Foreign Service (B)*

All posts of Assistants in the Ministry of External Affairs and in Indian Diplomatic, Consular and Commercial Missions and Posts abroad, and a few posts of Assistants in the Ministry of Foreign Trade, are included in Grade IV of the General Cadre of the Indian Foreign Service (B). The various grades in the General Cadre of the Indian Foreign Service (B), excluding Grades lower than Grade IV are as follows :—

Grade	Designation	Scale of Pay
Grade I	Under Secretaries at Hqrs. First and Second Secretaries in Missions and Posts abroad,	Rs. 900-50—1200
Integrated Grade II and III	Attaches and Section officers at Hqrs. Vice-consuls and Registrars in Mission and posts abroad.	Rs. 350-25-500-30-590-EB-30-800-EB-30-830-35-900.
Grade IV	Assistants at Hqrs. and in Missions and Posts abroad	Rs. 210-10-270-15-300-EB-15-450-EB-20-530.

NOTE.—Assistants promoted to the Integrated Grade II and III are allowed a minimum pay of Rs. 400/- p.m.

2. Candidates selected for Grade IV (Assistants) of the General Cadre of the IFS(B) will be appointed initially against temporary vacancies. They will, however, be confirmed, if otherwise eligible, in their turn in accordance with the Indian Foreign Service 'B' (Recruitment, Cadre Seniority and Promotion) Rules, 1964, depending on the availability of substantive vacancies. Appointment to Grade IV, will normally be made in the order of ranks assigned to the candidates by the Union Public Service Commission subject to the, rejection of those not found suitable for service abroad. To determine their suitability for service abroad candidates may be required to appear for an interview before a Selection Board to be constituted by the Ministry of External Affairs, New Delhi

3. Persons recruited direct to Grade IV of the General Cadre of the Indian Foreign Service (B) will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from Service.

4. Persons appointed to the Indian Foreign Service (B) will have no claim to be appointed to posts included in the Cadre of the Central Secretariat Service and the Railway Board Secretariat Service. Further, all such persons will be liable to serve in any post either in India or abroad, to which they may be posted.

5. While employed in India, members of the Indian Foreign Service (B) are allowed such allowances in addition to their basic pay as may be admissible to other Central Government employees holding similar posts. When posted abroad, these officers are eligible for the grant of certain concessions such as foreign allowance, free furnished residential accommodation, children's education allowance, outfit allowance and passages for themselves and for their families, etc., according to the scales laid down for these benefits by the Government from time to time. These concessions are liable to be withdrawn, modified or enhanced in accordance with such general decisions as the Government may take.

6. All Officers appointed to the I.F.S. (B) will be subject to the Indian Foreign Service (Branch B) (Recruitment Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964, and also by other rules and Regulations which the Government may hereafter frame and make applicable to the Service.

7. Persons appointed to Grade IV of the General Cadre (Assistants) of the I.F.S (B) will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the provisions contained in the Indian Foreign Service (Branch B), (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964.

NOTE.—In accordance with the Indian Foreign Service (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1961, a limited quota is available to officers in Grade I of the Indian Foreign Service (B) for promotion to the Senior Scale of the Indian Foreign Service (A) in the scale of pay of Rs. 900—50—1000—60—1600—50—1800.

(iii) *Railway Board Secretariat Service*

(a) The service conditions of staff employed in the Ministry of Railways so far as Recruitment, Training, Promotion etc. are concerned are regulated by the Railway Board Secretariat Service Rules, 1969, which are broadly similar to the Central Secretariat Service Rules, 1962.

(b) The Railway Board Service consists of the following grades :

(i) Selection Grade : such posts in the grade of Joint Directors/Dy. Secretary Railway Board as may from time to time be held by officers of the Railway Board Secretariat Service Rs. 1100—50—1300—60—1600—100—1800.

(ii) (a) Dy. Directors Grade : Such posts of Dy. Directors, Railway Board as may from time to time be held by Officers of the Railway Board Secretariat Service Rs. 900—50—1250 plus special pay of Rs. 200/- p.m.

(b) Grade I : Assistant Directors & Under Secretaries Rs. 900—50—1250.

(iii) Section Officers Grade Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.

(iv) Assistants Grade Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

Direct recruitment is made to the posts of Section Officers and Assistants. Assistants promoted as Section Officers are allowed a minimum pay of Rs. 400/- p.m.

(c) The Railway Board's Secretariat Service is confined to the Ministry of Railways and the staff are not liable to transfer to other Ministries as in the Central Secretariat Service

(d) Officers recruited direct as Assistants will have to undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by the Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests will result in the discharge from the service.

(e) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(f) Officers of the Railway Board Secretariat Service recruited under these rules;

(i) will be eligible for pensionary benefits; and

(ii) shall subscribe to the non-contributory State Railway Provident Fund under the Rules of that fund as are applicable to Railway Servants appointed on the date they join service.

(g) The staff employed in the Ministry of Railways are entitled to the privilege of passes and privilege ticket orders on the same scale as are admissible to other Railway Staff.

(h) As regards leave and other conditions of service, staff included in the Railway Board's Secretariat Service are treated in the same way as other Railway Officers but in the matter of medical facilities they will be governed by the rules applicable to other Central Government employees with headquarters at New Delhi.

(iv) The Armed Forces Headquarters Civil Service.

The Armed Forces Headquarters Civil Service has at present five grades as follows :—

(1) Joint Director (Class I)—Rs. 1300 60-1600.

(2) Senior Civilian Staff Officer (Class I)—Rs. 1,100—50—1,400.

(3) Civilian Staff Officer (Class I)—Rs. 740—30—800—50—1,150.

(4) Assistant Civilian Staff Officer (Class II—Gazetted)—Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800.

(5) Assistant (Class II—Non-gazetted)—Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

Note.—An officer of the Grade of Assistant promoted to the Grade of Assistant Civilian Staff Officer shall be allowed a minimum initial pay of Rs. 400 in the scale for the Grade of Assistant Civilian Staff Officer.

(2) Persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

(3) On conclusion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government, been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Assistants recruited to the AFHQ Civil Service will be posted to one of the Service Headquarters or Inter-Service Organisations participating in the AFHQ Civil Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other such Headquarters or office.

(5) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed to the Assistants' Grade of the Armed Forces Headquarters Civil Service will not, after such appointment, have any claim for transfer or appointment to any post not included in that Service.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

Journal Wing

New Delhi, the 28th September 1972

AMENDMENT TO RESOLUTION

No. F. 22(4)/69-*JL(Admn.)*.—In the Resolution of the Ministry of Law and Justice No. 22/4/69-JL(Admn.), dated the 1st March, 1972, relating to the composition of the Evaluation Committee for rendering advice for the effective implementation of the Scheme for writing, translation and publication of standard lay books in Hindi, for serial number 2 and the entries against such serial number, the following shall be *substituted*, namely :—

"2. Shri K. K. Sundaram, Joint Secretary and Legislative Counsel now holding current charge of the duties of Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice, New Delhi.—*Member (Ex-officio)*

N. K. SETH, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 23th September 1972

RESOLUTION

No. PF/R-9(5)/72.—The Government of India have decided to extend the time limit for submission of report by the Committee on Taxation of Agricultural Wealth and Income to the 31st October, 1972.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information and copies sent to the Chairman and Members of the Committee, all Ministries of the Government of India and to all State Governments and Governments of Union Territories.

B. D. PANDE, Secy.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 14th August 1972

RESOLUTION

No. 3/3/70-*FTZ*.—It has been decided to make the following changes in the Government of India, Ministry of Foreign Trades' Resolution of even number dated, the 15th March, 1971 published in the Gazette of India, extraordinary, Part I—Section 1, on 17th March, 1971.

(i) *Substitute* the words "as per policy of the Government from time to time" in place of words "for their first six months export production" appearing in para 2(iii) of the resolution.

(ii) *Delete* the following words appearing in Para 2(vi) of the resolution :

"At present the CG Committee has delegated powers to the committee to clear cases involving imports of capital goods up to value of Rs. 7.5 lakhs only".

(iii) *Substitute* the word "Government" for the words "Foreign Investment Board" appearing in para 2(vii) of the resolution and *delete* the footnote appearing under this Para.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India and a copy thereof communicated to all concerned.

V. S. MISRA, Jt. Secy.

New Delhi, the 16th September 1972

RESOLUTION

No. 14(9)-*Plant(A)* 66.—In the Ministry of Foreign Trade Resolution No. 14(9)-Plant(A)/66, dated the 13th July, 1972 published in the Gazette of India, the following changes shall be made in the composition of the Advisory Board given in Paragraph 2 thereof namely :—

(i) *For* Shri N. N. Malhan, Deputy Director, Ministry of Foreign Trade occurring against S. No. (iv), please *substitute* Shri P. V. Ramaswamy, Deputy Secretary, Ministry of Foreign Trade.

(ii) *For* Shri J. C. Crawford, Managing Director, M/s Octavius Steel and Co. Ltd occurring against S. No. (v) please *substitute* Shri M. Goenka of M/s. Octavius Steel & Co. Ltd.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

M. L. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 15th September 1972

RESOLUTION

No. 07011/1/70-*Salt*.—In continuation of this Ministry's Resolution No. 07011/1/70-Salt, dated the 9th July, 1971, reconstituting the Central and Regional Advisory Boards forSalt, the Government of India have decided to appoint the following persons against the seats indicated below :—

(3) *West Bengal and Orissa*

Name and address	*Seat No.*	*Category*
1. Shri K. N. Pathak, Joint Secretary, Gangapur Labour Union, P.O. Birmitrapur, S. E. Rly., District Sundargarh (Orissa).	3.	Persons having knowledge and experience of labour problems.

(5) *Gujarat*

1. Shri Ranchhodbhai J. Patel, Secretary, Majoor Mahajan Sangh, Mahatma Gandhi Road, Kalol (North Gujarat).	3.	Persons having knowledge and experience of labour problems.
2. Shri I. A. Usmani, General Secretary, Gujarat Refinery Kaddar Sangh, 6/5, Southern Township, Post Jawaharnagar, District Baroda, (Gujarat).	4.	Persons having knowledge and experience of labour problems.

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated to all the state Governments, all Ministries of Government of India, Planning Commission, and Prime Ministers' Secretariat.

2 ORDERED that this Resolution be published in the Gazette of India, Part 1, Section 1.

I. V. CHUNKATH, Under Secy.

New Delhi, the 22nd September 1972

RESOLUTION

Constitution of the Standing Committee to go into the problems of the manufacture of fertiliser and chemical plants to meet the requirements of user units.

No. 1-5/72-*H.M.II*.—With a view to tackling the various difficulties relating to the fabrication of equipment for the fertiliser industry and considering the problems of the manufacture of fertiliser and chemical plants to meet the requirements of the user units, the Government of India have decided to constitute a Standing Committee, consisting of the following :

Chairman

1. Director General, Technical Development, New Delhi. (Shri K. B. Rao)

Members

2. Shri H. H. Jethanandani, Chief Mechanical Engineer, Planning & Development Division, Sindri—Fertiliser Corporation of India, Sindri.
3. Shri J. Madhavan, Chief Engineer, The Fertilisers & Chemicals Travancore Ltd. Udyagmandal *via* Cochin.
4. Shri A. P. Rao, Chief Engineer, or alternately Shri V K. Raman, Dy. Chief Engineer, Bharat Heavy Plate & Vessels Visakhapatnam A.P.
5. Shri S. M. Rizvi, Head of the Mechanical Engineering Department Indian Standards Institute, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
6. Shri B. M. Sen, Scientist, C.S.I.R. CMERI Durgapur.
7. Shri M. T. Shah of INDO BEROLINA INDUSTRIES as nominee of the Chemical Plant & Machinery Association of India—C/o, Chemical Plant and Machinery Association of India Ballard Estate, POB No. 473, Bombay.
8. Shri U G. S. Rao, Engineers India Limited, 4-Parliament Street, New Delhi.
9. Shri K. P. Bhat, Development Officer, Ministry of Steel & Mines, Department of Steel, Udyog Bhavan, New Delhi.
10. Shri M. Satyapal, Additional Adviser (I&M), Planning Commission, Yogna Bhavan, Parliament Street, New Delhi-1

Member-Secretary

11. Shri S. C. Banerjee, Additional Adviser, Directorate General of Technical Development.

2. The functions of the Committee will be as follows :—

(i) The Committee will review the problems which may arise from time to time in the fabrication of machinery for fertiliser plants. For instance, one of the difficulties being faced by the fabricators of fertiliser plants relates to the multiplicity of specifications.

(ii) The Committee will advise the Fertiliser Corporation of India regarding standardisation of these specifications with the help of the Indian Standards Institution.

(iii) The Committee will look into specific problems of fertiliser machinery industry and assist in the evolution of suitable solutions.

The Committee will also consider the aspect of laying greater emphasis on advance planning, so that import substitution could be balanced against the requirements of rapid fertiliser production build-up and make concrete recommendations from time to time for consideration of the Government.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that a copy of the resolution be published in the Gazette of India.

S. M. GHOSH, Jt. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 22nd September 1972

*No. C.*11013/1/72-*FRY/FD*.—Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture) have decided to appoint the following Members of Parliament to serve on the Central Board of Forestry constituted *vide* this Ministry's Resolution No. 6-20/49-FD. dated the 19th June, 1950 and as finally amended *vide* Resolution No. 3-5/69-FD, dated the 30th May, 1972 :—

1. Shri P. Ganga Reddy, Member, Lok Sabha.
2. Shri Teja Singh Swatantra, Member, Lok Sabha.
3. Shri Triloki Singh, Member, Rajya Sabha.

RUP RAM, Under Secy.

New Delhi, the 25th September 1972

No. 29(1)/72-*CDN.I/ICAR.*—Under the provisions of Rule 75 of the Rules of the Indian Council of Agricultural Research, the Minister of Agriculture has been pleased to nominate the following to be members of the Standing Committee for Agricultural Education of the Society for a period of three years with effect from the 8th July, 1972, or till such time as their successors are nominated by him thereon whichever is earlier :—

Members by Designation :

1. Deputy Director General (Animal Sciences), Bhartiya Krishi Anusandhan Parishad, New Delhi-1.
2. Deputy Director General (Crop Sciences), Bhartiya Krishi Anusandhan Parishad, New Delhi-1.
3. Deputy Director General (Education & Centre-State Relations), Bhartiya Krishi Anusandhan Parishad, New Delhi-1.
4. Deputy Director General (Soils, Agronomy & Engineering), Bhartiya Krishi Anusandhan Parishad, New Delhi-1.
5. Dean, Post-Graduate School, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi-12.
6. Director, Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar, Uttar Pradesh.

Members by Name :

7. Dr. L. S. Chandrakant, Adviser, Technical Education, Ministry of Education & Social Welfare, Government of India, Shastri Bhavan, New Delhi-1.
8. Shri S. K. Chakraberty, Vice-Chancellor, Rajendra Agricultural University, Patna (Bihar).
9. Shri T. S. Avinashilingam Chettiar, Director, Shri Ramakrishna Mission Vidalaya, Post, Coimbatore Distt. (Tamil Nadu).
10. Dr. K. K. Iya, The Coca Cola Export Corporation, 14-A, Nizam-ud-Din, West, New Delhi-13.
11. Prof. B. M. Johri, Head, Department of Botany, University of Delhi, Delhi-7.
12. Dr. Abrar M. Khan, Professor of Plant Pathology, Aligarh Muslim University, Aligarh, U.P.
13. Dr. D. S. Kothari, Chairman, University Grants Commission, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-1.
14. Dr. B. V. Mehta, Principal, College of Agriculture, Anand, Gujarat.
15. Dr. S. K. Mukherjee Member, National Commission on Agriculture, Vigyan Bhavan Annexe, New Delhi-11.
16. Shri J. P. Naik, Adviser, Ministry of Education and Social Welfare, Government of India, Shastri Bhavan, New Delhi-1.
17. Dr. K. C. Naik, Vice Chancellor, University of Agricultural Sciences, Post Bag No. 1, Malleswaram, Bangalore-3.
18. Dr. L. S Negi, Vice-Chancellor, Assam Agricultural University, Jorhat-4, Assam.
19. Shri A. C. Pandya, Director, Engineering, National Dairy Development Board, Anand, Gujarat.
20. Dr. M. S. Pawar, Vice-Chancellor, Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri, Distt, Ahmednagar (Maharashtra).
21. Dr. (Mrs.) Leela Phadnis, Dean, College of Home Sciences, University of Udaipur, Udaipur (Rajasthan).
22. Dr. G. Rangaswami, Vice-Chancellor, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore-3.
23. Dr. N. K. Anant Rao, Dean, Agriculture College of Agriculture, Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology, Pant Nagar, (Distt, Nainital)
24. Shri I. Raghotham Reddy, 'Brindavan' 173, Fatehmaidan, North Road Hyderabad.
25. Mrs Q. K. Soni, Progressive Farmer C/o Major General K. C. Soni, AVSM, Dapode, Poona-51.
26. Dr. Bertie D'Souza, House No. 16, Clements Road, Vepery, Madras-7.
27. Prof. N. K. Velankar, Director, Central Institute of Fisheries Education, Versova, Bombay.

28-29. Two Representatives of University Grants Commission.

T. S. PRUTHI, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 23rd September 1972

No. 72/*RE*/161/23.—Notice is hereby given to all users of Railway Lines and premises' situated on the completed section of the undernoted section of the Western Railway that the 1500 Volts D.C. overhead traction wires will be energised on or after the date specified against the section. On and from the same date the overhead traction line shall be treated as live at all times and no unauthorised person shall approach or work in the proximity of the said overhead line.

Section and Date

1. Bandra Marshalling Yard—1-9-72.
2. Jogeshwari-Goregaon Yard—15-9-72.
3. Bhayandar-Miraroad Yard—25-9-72.
4. Virar Yard—5-10-72.
5. Virar Yard to Neutral Section (Km. 64)—15-10-72.

Warning to Road Users

No. 72/*RE*/161/23.—It is notified for information of General Public that in connection with the introduction of 1500 Volts D.C. Electric Tractiaon over the section mentioned below (**) of the Western Railway, Height Gauges have been erected at all the level crossings with a clear height of 15'-4" above road level with a view to prevent loads of excessive height from coming into contact for dangerous proximity to live traction wires. Public are hereby notified to observe the height specified above for the purpose of loading vehicles and to see that the loads carried in road vehicles do not infringes the height gauges under any circumstances.

The dangers of load of excessive height are as follows :—

1. Danger to the height gauge and consequent obstruction to the road as well as the railway line.
2. Danger to the materials or equipment carried or the vehicle itself.
3. Danger of fire and risk of life due to the contact or dangerous proximity to the live conductors.

(**)*Section Date*

1. Bandra Marshalling Yard—1-9-72.
2. Jogeshwari-Goregaon Yard—15-9-72.
3. Bhayandar-Miraroad Yard—25-9-72.
4. Virar Yard—5-10-72.
5. Virar Yard to Neutral Section (Km. 64)—15-10-72.

H. F. PINTO, Secy., Rly. Board

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 22nd September 1972

No. Q-16011(1)/72-*WE.*—In this Department's Notification No. Q-16011(3)/71-WE, dated the 29th November, 1971, the words

"Shri N. P. Dube, Joint Secretary"

shall be *substituted* by the words

"Shri N. P. Dube, Additional Secretary."

The 25th September 1972

No. Q-16011(2)/72-*WE.*—In pursuance of Rule 3(g)(iii) of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers' Education, the Government of India hereby appoints Shri T. S. Gill, I.A.S, Secretary to the Government of

Assam, Labour Department, as the representative of the Government of Assam, on the Central Board for Workers' Education, for a period of one year from the date of issue of this notification.

2. The following changes will be made accordingly in the Ministry of Labour & Employment Notification No. E&P-4(24)/58, dated the 12th December, 1958/Agrahayana 29, 1880, as amended from time to time :—

for the existing entry *viz* :—

"5. Shri Ganga Dhar Mandal,
Labour Commissioner,
Government of Bihar, Patna",

the following entries shal be *substituted* :—

"5 Shri T. S. Gill, I.A.S.,
Secretary to the Government of Assam,
Labour Department, Shillong".

HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.

Directorate General of Employment & Training

New Delhi, the 29th September 1972

RESOLUTION

No. ECI-200(10)/71.—In partial modification of the Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour and Employment (D.G.E.T.), Resolution No. MP-10(110)/69, dated the 19th December, 1970, Shri G. L. Shukla, Development Commissioner, Government of Madhya Pradesh, is appointed as a Member of the Expert Committee on Unemployment *vice* Shri N. Sundaram.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India, Part I, Section 1.

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India, State Governments/Administrations of Union Territories and all others concerned.

G. JAGANNATHAN, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972